पत्र संख्या–सी0आर0को0–104/2019...13856./

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना–15, दिनांक–...9.10.19

विषय :– **बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का SPARROW System के तहत पी0ए0आर0 ई–फाईलिंग (PAR e-filing) के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय ज्ञापांक सं0–16389 दिनांक–14.12.18 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का SPARROW System के तहत पी0ए0आर0 ई–फाईलिंग (PAR e-filing) का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रभाव से लागू किया जा चुका है। साथ ही विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं0– 8530 दिनांक–26.06.19 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए पी0ए0आर0 ई–फाईलिंग (PAR e-filing) हेतु समय–सीमा को निर्धारित किया गया है। विभागीय स्तर पर विचारोपरांत पत्रांक–8828 दिनांक–03.07.19 द्वारा तथा पुनः पत्रांक–12074 दिनांक–02.09.19 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए समय–सीमा को विस्तारित किया गया था।

कतिपय जिलों में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर विभागीय स्तर पर सम्यक विचारोपरांत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए उक्त विस्तारित समय–सीमा को पुनः निम्नरूपेण विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(i). विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारियों का Basic Data 10 अक्टूबर 2019 तक प्रतिवेदित पदाधिकारी के NIC के द्वारा सृजित व्यक्तिगत E-Mail Id पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(ii). प्रतिवेदित पदाधिकारी अपना स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन (Self Appraisal Report) Online अभिलेखित कर 20 अक्टूबर 2019 तक प्रतिवेदक पदाधिकारी को Forward कर देना सुनिश्चित करेगें।

(iii). प्रतिवेदित पदाधिकारी द्वारा Forward पी0ए0आर0 अथवा विभाग द्वारा Force Forward किये गये पी0ए0आर0, 21 अक्टूबर 2019 तक संबंधित प्रतिवेदक पदाधिकारी के NIC के द्वारा सृजित व्यक्तिगत E-Mail Id पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। प्रतिवेदक पदाधिकारी, प्रतिवेदित पदाधिकारी से प्राप्त अथवा Force Forward द्वारा उपलब्ध कराये गये पी0ए0आर0 पर अपना मंतव्य अभिलेखित कर 10 नवम्बर 2019 तक समीक्षी पदाधिकारी को Forward कर देना सुनिश्चित करेगें।

(iv). समीक्षी पदाधिकारी द्वारा Forward पी0ए0आर0 अथवा विभाग द्वारा Force Forward किये गये पी0ए0आर0, 11 नवम्बर 2019 तक संबंधित स्वीकरण पदाधिकारी के NIC के द्वारा सृजित व्यक्तिगत E-Mail Id पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। स्वीकरण पदाधिकारी, समीक्षी पदाधिकारी से प्राप्त अथवा Force Forward द्वारा उपलब्ध कराये गये पी0ए0आर0 पर अपना मंतव्य अभिलिखित कर 15 दिसम्बर 2019 तक PAR Custodian को Forward कर देना सुनिश्चित करेगें।

(v). विभागीय पत्रांक–12074 दिनांक–02.09.19 में अंकित अन्य कंडिका यथावत रहेगें।

अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत संबंधित सभी पदाधिकारियों को इस आशय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

9.10.19

(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव।